# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0 पत्र संख्या :— 42/2020
निर्णय दिनांकः— 21.07.2020

1.रामपाल पुत्र केसरा जाति मीना निवासी समरावता उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक
2.नाराणी पत्नि रामपाल जाति मीना निवासी समरावता उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक
3. मोत्या पत्नि राजू जाति मीना निवासी समरावता उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक
4. राजू पुत्र केसरा जाति मीना निवासी समरावता उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक

प्रार्थी

बनाम

1.रामस्वरूप पुत्र ब्रदीलाल जाति मीना निवासी समरावता उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोक

प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तत धारा 251 क राज0 काश्तकारी अधिनियम
उपस्थितः— श्री हरिराज सिंह वकील प्रार्थी
श्री बैणी प्रसाद वकील प्रतिपक्षीगण

## निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 304 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम समरावता तहसील उनियारा मे स्थित है। ख0न0 301 रकबा 0.51 हैक्टर पूर्व में प्रार्थीगण के परिवारजन पप्पू पुत्र प्रहलाद मीना निवासी समरावता के खातेदारी की आराजी था जिसमें ख0न0 300 ग्राम समरावता से धानूगांव जाने वाले रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ख0न0 1046/313 की मेड की तरफ हरिभजन व बंशी मीना के खेत की तरफ से ख0न0 301 मेसे होकर बने रास्ते से प्रार्थीगण अपने खातेदारी की आराजी ख0न0 304 पर आते जाते रहे तथा अपने कृषि उपकरण वगै0 लाते ले जाते आ रहे है। पप्पू मीना की मृत्युपरान्त प्रतिपक्षी न. 1 के मन मे खोट आ गया तथा प्रार्थीगण के अपने खातेदारी की आराजी ख0न0 304 पर आने जाने वाले एक मात्र रास्ता ख.न. 301 पर तारबाड लगाकर बंद कर दिया, जिससे प्रार्थीगण अपने खातेदारी की भूमि ख.न. 304 पर आने जाने व कृषि उपकरण इत्यादि लाने ले जाने के सुखाधिकार से भी वंचित हो गये तथा प्रार्थीगण की भूमि पडत रहने की सम्भावना हो गई है।

A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

यह कि पूर्व मे भी प्रतिपक्षी न.1 द्वारा प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी की भूमि पर आने ने व कृषि कार्य करने हेतु परमपागत रास्ते को बन्द करने पर प्रार्थीगण ने उसकी शिकायत लिस थाना नगरफोर्ट मे की गई थी, जिसमें प्रतिपक्षी न. 1 द्वारा एक राजीनामा प्रार्थीगण के मे रूबरू गवाहान लिखा जाकर ख.न. 301 से आने जाने से बन्द नही करने हेतु पाबन्द रते हुए उक्त रास्ता खुलासा कर दिया गया था। परन्तु उक्त रास्ते पर राजस्व रिकार्ड मे कन नही होने से उसका लाभ उठाकर प्रतिपक्षी न. 1 द्वारा बार–बार बन्द कर दिया जाता तथा वह अब आये दिन वादी को उक्त रास्ता का उपयोग व उपभोग करने मे अवरोध त्पन्न करने लगे है। वादी के अपने खेत पर आने जाने के रास्ता को अवैधानिक रूप से बन्द रने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। यदि प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थी खेतों पर आने जाने का रास्ता अवरूद्ध कर दिया तो प्रार्थी अपने जायज हक व अधिकार वंचित हो जावेगा, जिससे प्रार्थी को अपार हानी होगी तथा वह तबाह व बरबाद हो जावेगा।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे शत की आराजीयात ख0न0 304 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम समरावता तहसील उनियारा पर दी के अपने पूर्वजों के समय से आने जाने के रास्ता आराजी ख0न0 300 ग्राम समरावता व नुगांव जाने वाले आम रास्ते से होकर ख0न0 1046/313 हरिभजन मीना व बंशी मीना के त की तरफ से प्रतिपक्षी न. 1 के खातेदारी एवं कब्जे कशत की आराजी ख0न0 301 रकबा 51 है. वाके ग्राम समरावता की मेड के सहारे सहारे से 12 फीट चोडा आने जाने का रास्ता दलवाते समय राजस्व शीट मे अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करे। प्रार्थी नियमानुसार .एल.सी. दर से प्रतिवादीगण को राशि अदा करने को तैयार है।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज जिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी न. 1 के वकील ने जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 0पत्र बिल्कुल गलत, अवैधानिक व विधि के विरूद्व है। जो बिल्कुल झुठे व मनगढंत तथ्यों आधार पर है। कतई चलने योग्य नही है। प्रार्थी कभी भी प्रतिवादी की आराजी पर कोई स्ता ना तो पूर्व मे था ना ही आज मौके पर है। प्रार्थी ख0न0 1045/313 की मेड से होकर ाते जाते थे। प्रार्थी ने मिथ्या कथन के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना किया है । जो खारिज करने योग्य है।

प्रकरण मे तहसीलदार उनियारा से वादग्रस्त आराजी पर आने जाने के रास्ते के रे मे तहसीलदार उनियारा से मौके की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट राजी ख0न0 301 रकबा 0.51 है0 रामस्वरूप पुत्र बदरीलाल मीणा सा. देह के खाते मे दर्ज कार्ड है। ख0न0 304 मे आने जाने के लिये ख0न0 301 मे से होकर लाल स्याही से स्तावित रास्ता दिखाया गया है, इसके अलावा ओर कोई सुलभी रास्ता नही है।

उभय पक्षों के वकील को प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन कराया गया था उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। प्रतिपक्षीगण के